2012:CGHC:8033

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका क्रमांक 4254/1999</u>

याचिकाकर्ता : **शशांक शेखर सोनी**

बनाम

उत्तरवादीगण : **रजिस्ट्रार, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय**

एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 19 अक्टूबर 2012 को आदेश हेतु सूचीबद्ध करें।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

2012:CGHC:8033

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 4254/1999

याचिकाकर्ता : **शशांक शेखर सोनी**

बनाम

उत्तरवादीगण : **रजिस्ट्रार, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं अन्य**

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका)

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति **श्री सतीश के. अग्निहोत्री**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री के.आर नायर, अधिवक्ता ।

उत्तरवादीगण की ओर से : श्री संजय के. अग्रवाल, महाधिवक्ता ।

(दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 को निर्णय पारित किया गया)

1. इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता दिनांक 17.09.1998 के आदेश (अनुलग्नक पी. /26) को अभिखण्डित किए जाने की प्रार्थना करता है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का दिनांक 19.08.1998 का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन (अनुलग्नक पी./25) उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 19.11.1998 (अपराह्न) से स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता यह भी प्रार्थना करता है कि उसकी स्थिति को दिनांक 16.08.1998 के पूर्व की स्थिति में बहाल किया जाए

2012:CGHC:8033

तथा उत्तरवादी प्राधिकारियों को पिछला वेतन, विशेष वेतन के बकाया आदि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए।

2. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्विवाद तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रारंभ में याचिकाकर्ता को दिनांक 29.03.1989 के आदेश (अनुलग्नक पी./1) द्वारा लिपिक/स्टेनो के पद पर 870-20-910-25-1010-30-1220-40-1420/- रुपये के वेतनमान एवं 40/- रुपये विशेष वेतन के साथ नियुक्त किया गया। याचिकाकर्ता ने दिनांक 01.04.1989 (अनुलग्नक पी./2) को कार्यभार ग्रहण किया । दिनांक 05.05.1989 के आदेश (अनुलग्नक पी./3) द्वारा याचिकाकर्ता को दिनांक 29.05.1989 से 23.06.1989 की अवधि के लिए प्रतिलिपि (कॉपींग) अनुभाग में कार्य करने का निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, दिनांक 01.04.1989 से 30.04.1989 की अवधि के वेतन में 40/- रुपये का विशेष वेतन उसे प्रदान नहीं किया गया, जिसके संबंध में याचिकाकर्ता ने दिनांक 12.05.1989 को एक अभ्यावेदन (अनुलग्नक पी./4) प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता ने दिनांक 12.10.1989 को एक अन्य अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया तथा उसे पंजीकृत डाक द्वारा भेजा (अनुलग्नक पी./5, 6 एवं 7)। दिनांक 15.01.1991 के आदेश (अनुलग्नक पी./8) द्वारा याचिकाकर्ता को बिना वेतन के सात दिनों का अवकाश प्रदान किया गया। इसी प्रकार का आदेश दिनांक 26.06.1991 (अनुलग्नक पी./9) को भी पारित किया गया, जिसके द्वारा 28 दिनों का अवकाश बिना वेतन के प्रदान किया गया। उक्त आदेशों के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने दिनांक 04.07.1991 को अभ्यावेदन (अनुलग्नक पी./10) प्रस्तुत किया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता के अनुसार, उसने अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों के आधार पर स्थानांतरण हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 25.09.1991 के आदेश (अनुलग्नक पी./11) द्वारा नस्तीबद्ध कर दिया गया,

जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने दिनांक 01.10.1991 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया (अनुलग्नक पी./12), किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। पुनः, याचिकाकर्ता को दिनांक 10.01.1992 के आदेश (अनुलग्नक पी./13) द्वारा 17 दिनों का अवकाश बिना वेतन के प्रदान किया गया, जिसके संबंध में भी याचिकाकर्ता ने दिनांक 21.01.1992 एवं 16.03.1992 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए, जैसा कि अनुलग्नक पी./14,पी./15 एवं पी./16 से स्पष्ट है। इसके पश्चात्, दिनांक 14.02.1994 के आदेश (अनुलग्नक पी./17) द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाएँ अंबिकापुर संलग्न कर दी गईं। तत्पश्चात्, याचिकाकर्ता ने स्टेनो भत्ते/वेतन के भुगतान हेतु दिनांक 23.09.1994 को एक अभ्यावेदन (अनुलग्नक पी./18) प्रस्तुत किया। पुनः, याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत समस्याओं के आधार पर अपने स्थानांतरण हेतु दिनांक 06.10.1995 को एक आवेदन (अनुलग्नक पी./19) प्रस्तुत किया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उत्तरवादी प्राधिकारियों ने याचिकाकर्ता को अवकाश के दिनों में भी कार्य करने के लिए बाध्य किया, जो कि दिनांक 19.10.1995 के ज्ञापन (अनुलग्नक पी./20) से स्पष्ट है। याचिकाकर्ता को स्वीकृत अवकाश की अवधि के दौरान भी कार्य करने का निर्देश दिया गया, जैसा कि दिनांक 18.12.1995 के ज्ञापन (अनुलग्नक पी./21) से स्पष्ट है। याचिकाकर्ता द्वारा चिकित्सा अवकाश प्रदान किए जाने तथा सामान्य भविष्य निधि अग्रिम की स्वीकृति हेतु दिया गया आवेदन भी अभिलेख पर उपलब्ध है, जैसा कि दिनांक 06.07.1998 के आदेश (अनुलग्नक पी./22) से स्पष्ट होता है। याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक-2 के समक्ष दिनांक 25.10.1990 को एक अभ्यावेदन (अनुलग्नक पी./23) प्रस्तुत किया, जो कि उत्तरवादी क्रमांक-3 द्वारा याचिकाकर्ता के दिनांक 08.10.1990 के आवेदन तथा कार्यालय आदेश दिनांक 16.10.1990 के संबंध में अनुशंसित अवकाश के विषय में था, किंतु उस पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया।

2012:CGHC:8033

5. दिनांक 22.04.1991 के आदेश (अनुलग्नक पी./24) द्वारा याचिकाकर्ता के वेतन में वृद्धि की गई, किंतु 40/- रुपये का विशेष वेतन इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। याचिकाकर्ता दिनांक 18.06.1998 से लम्बे समय तक बीमार रहा और इस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र (अनुलग्नक पी./24, **P**/24(क) एवं **P**/24(ख)) प्रस्तुत किए गए, परंतु उत्तरवादी प्राधिकारियों की ओर से कोई उचित प्रतिक्रिया नहीं दी गई।

6. याचिकाकर्ता के अनुसार, जब उत्तरवादी प्राधिकारियों से कोई उचित प्रतिक्रिया एवं सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, तब याचिकाकर्ता ने दिनांक 19.08.1998 को सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु एक आवेदन (अनुलग्नक पी./25) प्रस्तुत किया । उक्त आवेदन को आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी./26) दिनांक 17.09.1998 द्वारा स्वीकार कर लिया गया और याचिकाकर्ता को दिनांक 19.11.1998 (अपराह्न) से सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रहण करने की अनुमति दे दी गई। दिनांक 17.09.1998 के उक्त आक्षेपित आदेश की जानकारी मिलते ही, याचिकाकर्ता ने तत्काल दिनांक 20.10.1998 को एक आवेदन (अनुलग्नक पी./26(क)) प्रस्तुत किया, जिसे डाक द्वारा (अनुलग्नक पी./26(ख)) भी भेजा गया तथा उत्तरवादी प्राधिकारियों से दिनांक 17.09.1998 के आदेश को निरस्त करने एवं उसे पुनः सेवा में कार्य करने की अनुमति देने का अनुरोध किया। इसके पश्चात् भी याचिकाकर्ता ने भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश तथा माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष क्रमशः अभ्यावेदन (अनुलग्नक पी./27 एवं **P**/28) प्रस्तुत किए । अतः यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नायर ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने अपनी चिकित्सकीय अवकाश तथा चिकित्सा उपचार हेतु आवेदन की गई जी.पी.एफ. अग्रिम राशि स्वीकृत न होने के कारण अत्यधिक

मानसिक तनाव/विवशता की स्थिति में सेवा से त्यागपत्र देने के अपने आशय का नोटिस प्रस्तुत किया था। याचिकाकर्ता को अपना त्यागपत्र वापस लेने का अधिकार है, जब तक कि त्यागपत्र प्रभावी न हो जाए, अर्थात् त्यागपत्र भावी हो। याचिकाकर्ता ने त्यागपत्र प्रभावी होने से लगभग एक माह पूर्व ही जिला न्यायाधीश से आक्षेपित आदेश को निरस्त करने एवं उसे पुनः कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था, किंतु जिला न्यायाधीश द्वारा याचिकाकर्ता को पुनः कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी गई। जिला न्यायाधीश की यह कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेक निर्णयों (निर्णयों की श्रृंखला) में प्रतिपादित विधि के विपरीत है। श्री नायर ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि जब तक नियोक्ता एवं कर्मचारी का संबंध बना रहता है, तब तक कर्मचारी को अपना त्यागपत्र वापस लेने का अधिकार है। कर्मचारी इस अधिकार का प्रयोग उस दिन से एक दिन पूर्व भी कर सकता है, जिस दिन नियोक्ता एवं कर्मचारी का संबंध समाप्त होता है। वर्तमान मामले में नियोक्ता एवं कर्मचारी का संबंध केवल दिनांक 19.11.1998 को समाप्त होना था, जबकि कर्मचारी ने उक्त तिथि से काफी पूर्व ही अपना अधिकार प्रयोग कर लिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. श्री नायर ने आगे यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को इतनी लंबी अवधि बीत जाने के पश्चात् भी उसके अंतिम लाभ, जैसे—ग्रेच्युटी, जी.पी.एफ. आदि का भुगतान नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता दिनांक 20.10.1998 के पत्र के अनुसार कार्य करने के लिए तत्पर एवं रजामंद था, परंतु उत्तरवादी प्राधिकारियों ने उसे कार्य करने एवं अपनी आजीविका अर्जित करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। ऐसे मामलों में **"काम नहीं तो वेतन नहीं"** का सिद्धांत लागू नहीं होता, जहाँ नियोक्ता कर्मचारी से कार्य लेने से इंकार कर दे, जबकि कर्मचारी कार्य करने के लिए तत्पर एवं रजामंद हो। अतः याचिकाकर्ता उस संपूर्ण अवधि के लिए वेतन एवं

2012:CGHC:8033

भत्तों का हकदार है, जिसके दौरान उसके नियोक्ता ने उससे कार्य लेने से इंकार किया, जिसमें वार्षिक वेतनवृद्धि एवं वेतन पुनरीक्षण से संबंधित लाभ तथा उनके बकाया भी सम्मिलित हैं।

9. इसके विपरीत, उत्तरवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता श्री अग्रवाल ने तर्क प्रस्तुत किया कि नियुक्ति आदेश के सामान्य अवलोकन से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि त्यागपत्र देने के लिए एक माह का नोटिस देना आवश्यक है अथवा एक माह के नोटिस के बदले एक माह का वेतन देना होता है। याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 19.08.1998 को प्रस्तुत त्यागपत्र का आवेदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 17.09.1998 के आदेश से दिनांक 19.11.1998 (अपराह्न) से स्वीकार कर लिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. श्री अग्रवाल ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि जब कोई लोक सेवक सेवा से त्यागपत्र प्रस्तुत करता है, तब उसके रोजगार/सेवा का निर्धारण सामान्यतः उस तिथि से समाप्त माना जाता है, जिस तिथि को त्यागपत्र को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले किसी विधि या वैधानिक नियम के अभाव में, त्यागपत्र स्वीकार किए जाने के पश्चात् लोक सेवक के लिए अपना त्यागपत्र वापस लेना संभव नहीं होता।

11. श्री अग्रवाल ने आगे यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने कभी भी वास्तव में अपना त्यागपत्र वापस नहीं लिया, बल्कि उसने केवल आदेश को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया था। चूँकि याचिकाकर्ता द्वारा त्यागपत्र वापस ही नहीं लिया गया, अतः त्यागपत्र की वापसी अथवा आदेश को निरस्त किए जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अंततः श्री अग्रवाल ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की सेवा दिनांक 17.09.1998 को उत्तरवादी क्रमांक-2 द्वारा उसके त्यागपत्र को स्वीकार किए जाने के साथ ही समाप्त हो गई थी। याचिकाकर्ता का

2012:CGHC:8033

त्यागपत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए जाने की तिथि, अर्थात् दिनांक 17.09.1998 से पूर्ण एवं प्रभावी हो गया था और उसके पश्चात् याचिकाकर्ता त्यागपत्र वापस लेने का अधिकारी नहीं था। याचिकाकर्ता ने अपने दिनांक 20.10.1998 के पत्र/ज्ञापन में मात्र दिनांक 17.09.1998 के आदेश को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है, जो कि दिनांक 20.10.1998 के आवेदन के साधारण अवलोकन से ही स्पष्ट है, तथा उसमें कहीं भी त्यागपत्र की वापसी की प्रार्थना नहीं की गई है। अतः किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, तो संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं बनता और यह रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, तथा याचिका में किए गए अभिवचनों एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

13. याचिकाकर्ता की नियुक्ति लिपिक/स्टेनो के पद पर अस्थायी आधार पर की गई थी, जिसमें नियुक्ति की शर्त यह थी कि उसकी सेवाएँ एक माह के नोटिस पर अथवा एक माह के वेतन के बदले समाप्त की जा सकती हैं। तत्पश्चात् नियमितीकरण होने पर, परिवीक्षा के दौरान लागू की गई अस्थायी नियुक्ति की शर्तें लागू नहीं रहीं। अतः याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि नियुक्ति की शर्त एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन नोटिस के बदले थी, स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। इसी प्रकार, विद्वान महाधिवक्ता का यह तर्क भी कि याचिकाकर्ता के त्यागपत्र आवेदन को एक माह की अवधि पूर्ण होने पर, अर्थात् दिनांक 17.09.1998 को विधिवत स्वीकार कर लिया गया और वह अंतिम हो गया, इस मामले के तथ्यों में स्वीकार्य नहीं है।

2012:CGHC:8033

14. यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 19.08.1998 को एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें उसने आवेदन प्रस्तुत करने के कारणों का उल्लेख किया, किंतु यह स्पष्ट नहीं किया कि उसका पत्र तत्काल स्वीकार किया जाए अथवा किसी भावी तिथि से। दिनांक 17.09.1998 को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दिनांक 19.08.1998 का आवेदन भावी तिथि, अर्थात् 19.11.1998 (अपराह्न) से स्वीकार किया गया।

15. इसके पश्चात्, दिनांक 20.10.1998 को याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक-2 को एक पत्र भेजा, जिसमें यह उल्लेख किया कि उसने अपनी परिस्थितियों के कारण दिनांक 19.08.1998 को आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे दिनांक 17.09.1998 को स्वीकार कर लिया गया था, अतः उसे निरस्त किया जाए तथा बीमारी से स्वस्थ होने के पश्चात् उसे सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाए। तथापि, याचिकाकर्ता ने कहीं भी यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि वह दिनांक 19.08.1998 के पूर्ववर्ती आवेदन को, जिसके अंतर्गत उसने अपने त्यागपत्र की स्वीकृति का अनुरोध किया था, वापस लेना चाहता है। इस स्थिति में, दिनांक 17.09.1998 का आदेश प्रभावी हो गया, क्योंकि सेवा से त्यागपत्र हेतु दिनांक 19.08.1998 के आवेदन में कोई भावी तिथि निर्दिष्ट नहीं की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. दिनांक 19.8.1998 के आवेदन (अनुलग्नक पी. **P**/25) का सुसंगत भाग इस प्रकार है:

> "..... मैं जिस उद्देश्य से त्यागपूर्वक न्यायिक कर्मचारी रहा कि न्यायालय का सेवक बन जन सन्तोष करने में न्यायाधीशों के आदेर्श मात्र के लिए समर्पित रहूँ दुर्लभ होने से एतद्द्वारा अपने सेवा त्याग संबंधी नोटिस सूचनार्थ एवम् आवश्यक कर्यवाही हेतु प्रेषित करता हूँ।"

2012:CGHC:8033

17. आवेदन दिनांक 20.10.1998 {अनुलग्नक पी. – पी/26 (ए)} इस प्रकार है:

"प्रति,

श्रीमान् जिलां एवम् सत्र न्यायाधीश महोदय,

जिला - सरगुजा (अम्बिकापुर) मध्य प्रदेश

विषय- न्याय बावत।

संदर्भ- 1. आपका कार्यालयीन आदेश क0 263/तीन 10-3/98 अंबिकापुर दिनांक 17.09.98

2. मेरे द्वारा दिये गये सेवा त्याग संबंधी नोटिस के संदर्भ में।

महोदय जी,

निवेदन है कि मैंने अपने दि० 19.08.98 की नोटिस में अथवा अन्य पत्रों में अपनी व्यथा जो असहनीय एवम् अन्यायपूर्ण है का स्पष्ट उल्लेख कर मेरे साथ हो रहे सतत अन्याय एवम् शोषण से मुक्त समग्र न्याय हेतु प्रार्थना पत्र भी है। पेश किया था।

संदर्भ क० 1 कार्यालयीन आदेशानुसार की जा रही कार्यवाही मेरे बीमारी दशा में नियम के विरूद्ध एक पक्षीय एवम् अन्याय पूर्ण है।

अतः निवेदन है कि उक्त आदेश निरस्त कर प्रार्थी को समग्र न्याय प्रदान किया जावे, ताकि प्रार्थी द्वारा स्वस्थ होकर सेवा कार्य समर्पित भाव से किया जा सके।

मंझौली

दि. - 20.10.98

प्रार्थी

शशांक शेखर सोनी

मुकाम मंझौली

पो० आ० मझौली"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2012:CGHC:8033

18. जहाँ तक दिनांक 19.08.1998 के आवेदन को दिनांक 17.09.1998 के आदेश द्वारा स्वीकार किए जाने का प्रश्न है, उत्तरवादी प्राधिकारियों ने आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि प्रदान की, ताकि तीन माह के वेतन के भुगतान से बचा जा सके। न्यायालय में यह इंगित किया गया कि त्यागपत्र के लिए पूर्व-शर्त यह थी कि या तो तीन माह का वेतन दिया जाए अथवा तीन माह का नोटिस दिया जाए।

19. दस्तावेजों के परिशीलन से न्यायालय ने यह नहीं पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 19.08.1998 के पूर्ववर्ती आवेदन, जिसके माध्यम से उसने सेवा से त्यागपत्र की माँग की थी—यद्यपि उसे दिनांक 19.11.1998 (अपराह्न) से प्रभावी किया गया था—की वापसी के संबंध में कोई उल्लेख किया गया हो। तथापि, त्यागपत्र की वापसी हेतु किसी अनुरोध के अभाव में यह नहीं माना जा सकता कि याचिकाकर्ता त्यागपत्र प्रभावी होने से पूर्व उसे वापस लेना चाहता था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. वर्तमान मामले में, चूँकि याचिकाकर्ता द्वारा त्यागपत्र की कोई विशिष्ट तिथि निर्धारित नहीं की गई थी, अतः वह तत्काल प्रभावी माना जाता है। यद्यपि नियोक्ता द्वारा त्यागपत्र को भावी तिथि से स्वीकार किया गया, तथापि त्यागपत्र की वापसी हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था।

21. यह एक सुस्थापित विधि का सिद्धांत है कि यदि कोई कर्मचारी भविष्य की किसी तिथि से त्यागपत्र देना चुनता है, तो पद से त्यागपत्र देने की प्रक्रिया उस भावी तिथि तक पूर्ण नहीं मानी जाती। (देखें : *राज कुमार बनाम भारत संघ*[1], *भारत संघ एवं अन्य बनाम गोपाल चन्द्र मिश्र एवं अन्य*[2], *पी. कासिलिंगम बनाम पी.एस.जी. कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी,*[3]

1 AIR 1969 SC 180
2 (1978) 2 SCC 301
3 (1981) 1 SCC 405

2012:CGHC:8033

नॉर्थ ज़ोन कल्चरल सेंटर एवं एक अन्य बनाम वेदपाठी दिनेश कुमार[4], *चंद मल चायल बनाम राजस्थान राज्य* [5] तथा टेक्नीकल एजुकेशन*उत्तर प्रदेश एवं अन्य बनाम ललित मोहन उपाध्याय एवं एक अन्य*[6])।

22. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने त्यागपत्र के लिए कोई भावी तिथि निर्दिष्ट नहीं की थी। द्वितीय यह कि, याचिकाकर्ता ने सेवा से त्यागपत्र हेतु प्रस्तुत अपने दिनांक 19.08.1998 के पत्र को वापस भी नहीं लिया। अतः यह नहीं माना जा सकता कि दिनांक 19.08.1998 का पत्र, त्यागपत्र की भावी तिथि दिनांक 19.11.1998 से पूर्व वापस ले लिया गया था।

23. याचिकाकर्ता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय *पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम प्रमोद कुमार भाटिया*[7] का लिया गया अवलंब वर्तमान प्रकरण के तथ्यों में कोई सहायता प्रदान नहीं करता, क्योंकि याचिकाकर्ता ने सेवा से त्यागपत्र हेतु दिनांक 19.08.1998 को प्रस्तुत अपने आवेदन को वापस नहीं लिया था। दिनांक 20.10.1998 के बाद के आवेदन द्वारा याचिकाकर्ता ने दिनांक 17.09.1998 के आदेश को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया था, न कि इस आधार पर नही कि वह दिनांक 19.08.1998 के त्यागपत्र पत्र को वापस लेना चाहता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. परिणामस्वरूप, सारहीन होने के कारण यह रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है तथा इसे खारिज किया जाता है। पक्षकार अपने वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

---

4 (2003) 5 SCC 455
5 (2006) 10 SCC 258
6 (2007) 4 SCC 492
7 (1997) 4 SCC 280

2012:CGHC:8033

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by- Aniruddha Shrivastava, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur